हुक्मतारीख	हुक्म याकार्यवाहीअजइजिशियल्सजज मोहन बनाम बुद्धाराम	
14/5/024	वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा लाछीवाड़ के खेत खसरा नम्बर 184 रकबा 0.03 हेक्टयर, खसरा नम्बर 185 रकबा 7.87 हैक्टयर, जुमले रकबा 7.30 हैक्टयर जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा अलग कब्जा काश्त का आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर भू–विभाजन होना शेष है तथा राजस्व रेकर्ड में भी भूमि संयुक्त खातेदारी दर्ज है। संयुक्त खातेदारी होने से अप्रार्थीगण भूमि को अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमदा है तथा अच्छी से अच्छी उपजाऊ भूमि बेचान कर अजनबी व्यक्ति को कब्जा करवाना चाहता है। ऐसा करने आराजी संयुक्त खातेदारी होने से प्रार्थी का भूमि में कण–कण में हिस्सा व हक है तथा वादग्रस्त आरजी कसी अजनवी व्यक्ति को बेचान करने से प्रार्थी को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर अविभाजन भूमि पर कब्जा करना चाहते है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण उक्त कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार दोनों मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेघाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी फरमावे। अप्रार्थीगण एक पक्षीय– हमनें एक पक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.04.2024 को न्यायालय हाजा में पेश होकर दर्ज रजिस्टर किया गया था, प्रार्थना पत्र पेश हुए काफी समय व्यतित हो जोने के बावजूद प्रार्थी द्वज्ञरा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किये है जिससे अप्रार्थीगण उक्त आराजी बेचान, रहन, तर्क दान, आदि करने पर उतारू हो तथा साथ ही वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की है। जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से दोनों पक्षो को क्षति होगी अतः प्रार्थी के पक्ष अस्थाई निषेघाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझता हु। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। **—:आदेश:—** अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है कि चुंकि प्रार्थना पत्र दिनांक 21.04.2024 को न्यायालय हाजा में पेश होकर दर्ज रजिस्टर किया गया था, प्रार्थना पत्र पेश हुए काफी समय व्यतित हो जोने के बावजूद प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य [illegible] किये है जिससे अप्रार्थीगण उक्त आराजी बेचान, रह[illegible] करने [illegible] उतारू हो तथा साथ ही वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की है। जि[illegible] निषेधाज्ञा जारी करने से दोनों पक्षो को क्षति होगी अतः प्रार्थी का प्रा[illegible] पत्र स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:55:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner